देव संस्कृति विश्वविद्यालय

कार्मिक एवं प्रोटोकॉल विमाग

विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन किया जाता है। इसमें राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार आरक्षण की व्यवस्था दी गई है—

अन्य पिछडा वर्ग 14%

अनुसूचित जाति 19%

अनुसूचित जनजाति 4%

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%

देव संस्कृति विश्वविद्यालय आवासीय प्रकृति का होने के कारण विश्वविद्यालय में एक—एक सीट पर प्रवेश होना आवश्यक हो जाता है। यह भी विचाराणीय है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपनी प्रकृति, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों से शुल्क के रूप में बहुत ही कम चार्ज करता है जिसके कारण सीट खाली नहीं रखी जा सकती है। आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में भी छूट प्रदान की जाती है जबकि सामान्य श्रेणी के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि यदि आरक्षित श्रेणी में संख्या से कम आवेदन प्राप्त होते हैं अथवा कम संख्या में प्रवेश के लिए छात्र आते हैं या छात्र प्रवेश नहीं लेते हैं तो संस्था हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थिति में आरक्षित सीट को सामान्य श्रेणी से भरे जाने का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।

कार्मिक एवं प्रोटोकॉल आफिसर

आ0 प्रति–कुलुपति जी

Approved

SHARAO PARDHY

Vice Chancellor

Dev Sanskriti Vishwavidyalaya
Gayatrikunj, Shantikunj,
Haridwar 249411

विश्व के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पुनरुत्थान हेतु एक अभिनव स्थापना An Establishment for Cultural & Spiritual Renaissance of the Globe



Translated Version

The Reservation poly prescribed by the state government is followed for admission to the university. The reservation system as defined by the state government is as follows:

Other Backward Classes (OBC) 14%

Scheduled Castes (SC) 19%

Scheduled Tribes (ST) 4%

Economically Weaker Section 10%

Since Dev Sanskriti Vishwavidyalya is a residential university, it is necessary to ensure that each seat is filled. It is noteworthy that, due to its unique nature and objectives, the university charges minimal fees from students, making it impractical to leave seats vacant. Reserved category students are also given relaxation in minimum educational qualifications, which is not applicable to the general category

In such a scenario, it becomes essential to address situations where fewer applications are received from reserved category students, fewer students from these categories enroll, or they choose not to take admission. In the interest of the institution, it is proposed that reserved seats, in such cases, be filled from the general category. This proposal is submitted for approval.

Personnel and Protocol Officer

Pro Vice-Chancellor

SHARAD PARDHY

Hon'ble Vice-Chancellor

Vice Chancellor Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Gayatrikuni, Shantikuni, Haridwar 249411 😯

Hon'ble Chancellor

यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रमाणित, आईएसओ 9001:2015 द्वारा प्रमाणित एवं समग्र शिक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में पुरस्कृत Recognized by UGC, Accredited by NAAC, Certified by ISO 9001:2015 and Awarded as Best University for Holistic Education

गायत्रीकुञ्ज-शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार-249411. (उत्तराखण्ड)

Gayatrikunj - Shantikunj, Haridwar - 249 411. (Uttarakhand)

• Phone: +91-01334-261367 • Mobile: +91-9720107192 • Email: info@dsvv.ac.in • Web: www.dsvv.ac.in

f 🛛 💆 @dsvvofficial 📮 Dev Sanskriti Vishwavidyalaya